राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़

दिनांक :–22-11-23

:रीडर / (प्रा.पत्र) / 2023 / 546

निमित्त :–

तहसीलदार
निम्बाहेड़ा।

विशय :–न्यायालय हाजा के आदेशानुसार पालना करने बावत्।

उनवान

श्री पुष्पेन्द्र सिंह बनाम राजस्थान सरकार

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यायालय हाजा के प्रकरण संख्या 199 / 2023 अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 पुष्पेन्द्र सिंह पिता श्री कैलाश सिंह निवासी निम्बाहेडा बनाम राज्य सरकार जरिए तहसीलदार निम्बाहेडा में निर्णय दिनांक 01.11.2023 को किया गया। अतः निर्णय की प्रति भेजकर लेख है कि निर्णय अनुसार पालना कर पालना पेश करें।

संलग्न :–उपरोक्तानुसार

(रमेश सीरवी पुनाड़ियॉ)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

Received
22.11.23

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सिरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 199/2023
जीसीएमएस न0 2023/612

1 पुष्पेन्द्रसिंह पुत्र श्री कैलाशसिंह जी, जाति राजपूत, आयु वयस्क (प्रोराईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेड़ा राज।

..........प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ।
2 श्री विजय कुमार पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) निवासी उदयपुर।

.... अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–1–प्रार्थी स्वयं
2–विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेडा – स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 01.11.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजियात मौजा जावदा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा की खाता नम्बर 464 के आराजी नम्बर 391 रकबा 1.0800 हैक्टेयर स्थित हैं।

2. उपरोक्त वादग्रस्त नये आराजी नम्बर 391 रकबा 1.0800 हेक्टेयर के पुराने आराजी नम्बर 222/20 रकबा 5 बीघा थे जो पुरानी जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 की खाता संख्या 354 में पूर्व खातेदार विजय लोकेन्द्र पुत्र जयकुमार महाजन (चौधरी) निवासी उदयपुर की खातेदारी में दर्ज थी तथा विजय कुमार पिता जयकुमार द्वारा अपना 1/2 हक हिस्सा यानि 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित करवाई जिसका इंतकराल नं० 1721 दिनांक 18/08/2007 से औद्यौगिक प्रयोजनार्थ खातेदारी मे दर्ज हुई और उक्त औद्यौगिक प्रयोजनार्थ भूमि को रजिस्टर्ड विकय पत्र द्वारा विरेन्द्र सिंह पुत्र भंवरसिंह झाला राजपुत निवासी तलावदा को विक की जिसका इंतकाल नम्बर 1722 दिनांक 20/08/2007 से विरेन्द्रसिंह के नाम दर्ज हुई और विरेन्द्रसि[illegible] उक्त वादग्रस्त भूमि विपक्षी पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय की जिसका इंतकाल नं० 1723 दिनांक 20/08/2007 से विपक्षी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुआ जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2058 – 2061 पर दर्ज हैं, तथा बाद में सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से सेटलमेन्ट के बाद नवीन जमाबंदी में विपक्षी पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत का नाम राजस्व रेकार्ड मे जमाबंदी रोटेशन के दौरान सहवन से दर्ज होने से रह गया है और उक्त भूमि पुनः पूर्व खातेदार विजय कुमार जयकुमार पिता हिस्सा 1/2 जाति महाजन निवासी उदयपुर के नाम लिपीकिय त्रुटी की वजह से दर्ज हो गई है, जबकि पूर्व खातेदार विजयकुमार द्वारा उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज करवा कर विकय कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

दी गई हैं। इसलिए उक्त जमाबंदी रोटेशन में पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्याहेडा राज० का नाम पुनः वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० जरिये औद्यौगिकप्रयोजनार्थ दर्ज कर, तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० जरिये औद्यौगिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर, तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त राजाचर कार्ड में भुट्टि किया जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करावें ।उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मौजा जावदा में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद से वंचित रह जाने से राजस्व रिकार्ड में शुद्धि किये जाने के सम्बन्ध में जांच भू अभिलेख निरीक्षक जावदा एवं पटवार हल्का जावदा से करवाई गई। भू अभिलेख निरीक्षक जावदा एवं पटवार हल्का जावदा की संयुक्त जांच रिपोर्ट अनुसार गौजा जावदा में वर्तमान जमाबन्दी संवत 2077–80 में खाता संख्या 464 आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 है० किस्म बारानी 4 खातेदार श्री गुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह 1/2 राजपुत निवासी बडौलीमाधोसिंह, विजय पिता जयकुमार 1/2 महाजन निवासी उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है।

4. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से जांच रिपोर्ट तलब की गई, जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा ने अपनी जांच रिपोर्ट में अंकित किया हैं कि वर्तमान भू–प्रबन्ध में आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर साबिक राजस्व रिकार्ड व मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक आराजी संख्या 222/20 रकबा 5 बीघा से बना हुआ है। साबिक राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2046–49 में खाता संख्या 4 आराजी संख्या 222/20 रकबा 5 बीघा खातेदार श्री अहमद खां पिता सादुल खां मुसलमान निवासी निम्बाहेडा के नाम दर्ज रिकार्ड था, जो कि स्वयं के नाम आवंटन से प्राप्त हुई थी। नामान्तरकरण संख्या 1086 से विकय से उक्त आराजी संख्या 222/20 रकबा 5 बीघा केता श्री विजय, लोकेन्द्र पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) निवासी उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड हुई थी।साबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् में खाता संख्या 354 आराजी संख्या 222/20 रकबा 5 बीघा खातेदार श्री विजय, लोकेन्द्र पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) निवासी उदयपुर के दर्ज रिकार्ड में नामान्तरकरण संख्या 1721 स्वीकृत दिनांक 18.08.2007 से भूमि रूपान्तरण आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, निम्बाहेडा के आदेश से श्री विजय कुमार पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) का 1/2 हिस्सा 2 बीघा 10 बिस्वा (5422.21 वर्गमीटर) औद्योगिक प्रयोजनार्थ हेतु दर्ज करने की स्वीकृति हुई । नामान्तरकरण संख्या 1722 स्वीकृत दिनांक 20.08.2007 से विकय से विजय कुमार पिता जयकुमार का रूपान्तरित औद्योगिक प्रयोजनार्थ हिस्सा 1/2 केता मैसर्स मातेश्वरी इडराणा कन्स्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड प्रोपराईटर श्री वीरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह झाला राजपुत निवासी तलावदा के नाम हिस्सा दर्ज रिकार्ड हुआ। नामान्तरकरण संख्या 1[illegible] स्वीकृत दिनांक 20.08.2007 विकय से मैसर्स मातेश्वरी इडराणा [illegible] प्रोपराईटर श्री वीरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह झाला राजपुत का हिस्सा 1/2 रूपान्तरित केता श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत [illegible] जावदा के नाम से 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा (5422.21 वर्गमीटर) औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज रिकार्ड हुआ। नामान्तरकरण संख्या 1731 विकय से श्री लोकेन्द्र पिता जयकुमार महाजन का 1/2 हिस्सा श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह सोलंकी राजपूत निवासी बडौलीमाधोसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। इस प्रकार साबिक रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2058–61 मौजा जावदा में आराजी संख्या 222/20 रकबा 5 बीघा अन्तिम रूप से श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह सोलंकी राजपुत निवासी बढौलीमाधोसिंह

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

अनुसार दर्ज था। लेकिन नवीन भू–प्रबन्ध में साबिक आराजी संख्या 222/20 का नवीन आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर बना होकर खातेदार श्री विजय, लोकेन्द्र पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) निवासी उदयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड रह गया। उसके बाद आधार वर्ष जमाबन्दी संवत् 2067–70 मौजा जावदा में खाता संख्या 397 आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर में उपरोक्त खातेदार के नाम से अंकित था। इसमें नामान्तरकरण संख्या 1731 स्वीकृत दिनांक 16.11.2007 का अमलदरामद कर श्री लोकेन्द्र पिता जयकुमार महाजन (चौधरी) का हिस्सा 1/2 केता श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह सोलंकी राजपुत निवासी बडौलीमाधोसिंह के नाम दर्ज किया गया। जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत् 2077–80 में भी उसी प्रकार दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार सारांशत उपरोक्त साबिक भू–प्रबन्ध की अन्तिम चौसाला संवत् 2058–61 अनुसार अन्तिम नामान्तरकरण संख्या 1723 स्वीकृत दिनांक 20.08.2007 ग्राम जावदा तहसील निम्बाहेडा के खसरा संख्या 222/ 20 रकबा 5 बीघा में खातेदार श्री विरेन्द्रसिंह पिता भंवरसिंह का 1/2 हिस्सा (54222.21 वर्गमीटर) औद्योगिक रूपान्तरित भूमि श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाश सिंह राजपूत प्रो० पारस ग्रिड जावदा के नाम दर्ज रिकार्ड का अमल दरामद है, जो नवीन भू–प्रबन्ध की आधार वर्ष संवत् 2067–70 की जमाबन्दी में खाता औद्योगिक प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत प्रो. पारस ग्रिड जावदा के नाम से 2 बीघा 10 बिस्वा हिस्सा (5422. 21 वर्गमीटर) दर्ज रिकार्ड था, जो कि वर्तमान नवीन भू–प्रबन्ध में दर्ज होने से वंचित है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 464 आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 में हिस्सा 1/2 विजय कुमार पिता जयकुमार महाजन निवासी उदयपुर के बजाय शुद्धि कर सही रूप से श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत प्रो. पारस ग्रिड जावदा 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाकर भूमि किस्म 54222.21 वर्गमीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ शुद्ध किया जाना सही है और शेष 1/2 हिस्सा श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत 1/2 निवासी बडौलीमाधोसिंह के नाम दर्ज है, जो बदस्तूर रहेगा। प्रकरण में प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

5. दोनो पक्षो के अभिवचनो के आधार पर बहस उभयपक्ष सूनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं विद्वान अधिवक्ता की बहस में मनन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारो एवं दस्तावेज के आधार पर संक्षिप्त सार यह है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० को रजिस्टर्ड विकय पत्र से विक्रय की जिसका इंतकाल नं० 1723 दिनांक 20/08/2007 से विपक्षी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज हुआ जिसका अंकन जमाबंदी संवत् 2058–2061 पर दर्ज हैं, तथा बाद में सेटलमेन्ट के दौरान सहवन से सेटलमेन्ट के बाद नवीन जमाबंदी में विपक्षी पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत का नाम राजस्व रेकार्ड मे जमाबंदी रोटेशन के दौरान सहवन से दर्ज होने से रह गया है और उक्त भूमि पुनः पूर्व खातेदार विजय कुमार जयकुमार पिता जाति महाजन निवासी उदयपुर के नाम लिपीकिय त्रुटी की वजह से दर्ज हो गई है, जबकि पूर्व खातेदार विजयकुमार द्वारा उक्त भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज करवा कर विकय कर दी गई हैं। इसलिए उक्त जमाबंदी रोटेशन में पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० का नाम पुनः वर्तमान राजस्व रेकार्ड में पुष्पेन्दरसिंह पुत्र कैलाशसिंह जी जाति राजपुत आयु वयस्क (प्रोप्राईटर पारस ग्रीड जावदा) निवासी निम्बाहेडा राज० जरिये औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज कर, तरमीम कर इन्द्राज दुरुस्त किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested

6. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:***
>
> ***Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.***

7. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

8. अतः तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा वर्तमान राजस्व रिकार्ड मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 464 आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 में हिस्सा 1/2 विजय कुमार पिता जयकुमार महाजन निवासी उदयपुर के बजाय शुद्धि कर सही रूप से श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत प्रो. पारस ग्रिड जावदा 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाकर भूमि किस्म 54222.21 वर्गमीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ शुद्ध किया जाना हेतु और शेष 1/2 हिस्सा श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत 1/2 निवासी बडौलीमाधोसिंह के नाम दर्ज है, जो बदस्तूर होना प्रस्तावित किया गया है जो कि प्राथीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के साथ में अन्य दस्तावेज ग्राम जावदा का नामान्तरण संख्या 1721,1722,1723 की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2058–2061 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2046–2049 की प्रति, जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, उप पंजीकय निम्बाहेडा के चालान की प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 17.08.2007 की प्रति, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2006 की प्रति, समपर्वितन आदेश की प्रति से प्रमाणित होता है।

आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested

9. अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 साबिक रिकॉर्ड एवं तहसीलदार, निम्बाहेड़ा की जांच रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर मौजा जावदा की जमाबन्दी संवत् 2077–80 में खाता संख्या 464 आराजी संख्या 391 रकबा 1.08 हैक्टेयर किस्म बारानी 4 में हिस्सा 1/2 विजय कुमार पिता जयकुमार महाजन निवासी उदयपुर के बजाय शुद्धि कर सही रूप से श्री पुष्पेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत प्रो. पारस ग्रिड जावदा 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाकर भूमि किस्म 54222.21 वर्गमीटर औद्योगिक प्रयोजनार्थ के नाम दर्ज करने के आदेश दिये जाते है और शेष 1/2 हिस्सा श्री भुपेन्द्रसिंह पिता कैलाशसिंह राजपुत 1/2 निवासी बडौलीमाधोसिंह के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा
पुष्पेन्द्र बनाम राजस्थान सरकार
GCMS No- 2023/612
प्रकरण संख्या 199 / 2023

नाम दर्ज है, जो बदस्तूर रहेगा। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

10. निर्णय आज दिनांक 01.11.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दपतर हो।

1/11/23

(रमेश सीरवी पुनाड़िया)
उपखंड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:42:56 IST
Reason: SelfAttested